

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :- 133/25

तारीख 06/06/25

दुर्गालाल पुत्र कल्याण जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी माल का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बनाम

.....प्रार्थीगण

01. देउ पत्नि प्रमोद जाति भीणा उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. गोपाल पुत्र भीमडा जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी माल का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
03. शंकरलाल पुत्र उकारलाल जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी माल का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा०ले०रे०एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक: 31/7/25

प्रार्थना पत्र गोपाल पुत्र भीमडा जाति मेघवाल उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी माल का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा उन्द्रा का खेडा पटवार हल्का माल का खेडा तहसील बिजौलियाँ में खाता संख्या 321 पर अंकित आराजी संख्या 708/89 रकबा 0.1673 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलिया कला को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/- रूपये तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा उन्द्रा का खेडा पटवार हल्का माल का खेडा तहसील बिजौलियाँ में खाता संख्या 321 पर अंकित आराजी संख्या 708/89 रकबा 0.1673 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड/अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 133

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

तारीख 6/6/25

फ. 3/7/25

विषय :- प्रकरण संख्या 133 / 2025 पत्थरगढी बाबत।

दुर्गालाल पुत्र कल्याण जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी माल का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बनाम

.....प्रार्थीगण

01. देउ पत्नि प्रमोद जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. गोपाल पुत्र भीमडा जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी माल का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
03. शंकरलाल पुत्र उकारलाल जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी माल का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा उन्द्रा का खेडा पटवार हल्का माल का खेडा तहसील बिजौलियाँ में खाता संख्या 321 पर अंकित आराजी संख्या 708/89 रकबा 0.1673 हेक्टेयर भूमि की बशामलात पडोसीयान के पत्थरगढी की जावे। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलिया कला को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ